e/;izns'k O;kolkf;d ijh{kk e.My] Hkksiky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498

ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

e/;izns'k 'kklu] ty foHkkx ds vUrxZr 'kkjhfjd ifj'kq{k.k vuqns'kd] flykbZ vuqns'kd] cqukbZ vuqns'kd] iq:"k ulZ] c<bZfxjh vuqns'kd] Qkjeu iqyl] f'k{kd@lgk;d f'k{kd] igjh ds lh/kh Hkrhh ,oa lh/kh HkrhZ&cSdykWx ds fjDr inksa ij Hkrhh gsrq l;qDr p;u ijh{kk&2015

ijh{kk lapkyu ,oa Hkrhh fu;e iqfLrdk

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि			20.09.2015
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि			19.10.2015
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि			20.09.2015
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि			24.10.2015
परीक्षा दिनांक व दिन			22.11.2015(रविवार)
परीक्षा शुल्क	सीधी भर्ती के पदो हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रु. 500/–
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प. के मूल निवासियो के लिये)	रु. 250/–
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रू. 70/– देय होगा।			

le; lkj.kh

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॅं भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
22.11.2015 (रविवार)	प्रातः 09:45 बजे से	प्रातः 09:55 बजे से	प्रातः 09:55 से 10:10 बजे तक (15 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे से	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 01:15 बजे तक (3:00 घंटे)

ukWV& bl ijh{kk dk vk;kstu vkuykbu i)fr ls Hkh djk;k tk ldrk gS A

टिप्पणी :–

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट पश्चात तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
4. ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
5. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ **मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक अथवा उसके द्वारा अतिरिक्त रूप से चयनित अन्य** फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

e/;izns'k O;kolkf;d ijh{kk e.My] Hkksiky
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

e/;izns'k 'kklu] tsy foHkkx ds varxZr 'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd] flykbZ vuqns'kd] cqukbZ vuqns'kd] iq:"k ulZ] c<bZfxjh vuqns'kd] Qksjeu izsl] f'k{kd@lgk;d f'k{kd] izgjh ds lh/kh HkrhZ ,oa lh/kh HkrhZ&cSdykWx ds fjDr inksa ij HkrhZ gsrq la;qDr p;u ijh{kk&2015

fo"k; lwph

Øa-	v/;k;	fooj.k	i"B Øa-
1.	01	मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी, शिक्षक/सहायक शिक्षक, पुरूष नर्स, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, सिलाई अनुदेशक, बढईगिरी अनुदेशक, बुनाई अनुदेशक, फोरमेन प्रेस के सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा–2015 हेतु विभागीय नियम	3–16
2.	02	मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	17–27
3.	03	विस्तृत पाठ्यक्रम	28
4.	izk:i&1	प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	29
5.	izk:i&2	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	30

inksa dk ,d tkbZ fooj.k

Øa-	in dk uke	lh/kh HkrhZ	lh/kh HkrhZ cSdykWx	lafonk HkrhZ	dqy
01	'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd	01	03	00	04
02	flykbZ vuqns'kd	00	03	00	03
03	cqukbZ vuqns'kd	00	01	00	01
04	iq:"k ulZ	01	02	00	03
05	c<bZfxjh vuqns'kd	01	00	00	01
06	Qksjeu izsl	01	00	00	01
07	f'k{kd@lgk;d f'k{kd	06	00	00	06
08	izgjh	842	10	00	852
	;ksx	852	19	00	871

v/;k; & 1

e/;ins'k 'kklu] tsy foHkkx ds vrxr 'kkjhfjd ipf'k{k.k vuqns'kd] flykbZ vuqns'kd] cqukbZ vuqns'kd] iq:"k ulZ] c<bZfxjh vuqns'kd] Qksjeu isl] f'k{kd@lgk;d f'k{kd] igjh ds lh/kh HkrhZ ,oa lh/kh HkrhZ&cSdykWx ds fjDr inksa ij HkrhZ gsrq la;qDr p;u ijh{kk&2015

foHkkxh; fu;e

1-1 lkekU; %&

जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं./9751/सामान्य स्थापना/2015, दिनांक 05.06.2015, के मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, सिलाई अनुदेशक, बुनाई अनुदेशक, पुरूष नर्स, बढईगिरी अनुदेशक, फोरमेन प्रेस, शिक्षक/सहायक शिक्षक, प्रहरी के सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती–बैकलॉग के के fjDr dqy 871 inks पर सीधी भर्ती, सीधी भर्ती–बैकलॉग हेतु संयुक्त चयन परीक्षा–2015 के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों पर यह नियम लागू होंगे। पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1-2 ifjHkk"kk;sa %&

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।

(ब) ''विभाग'' से अभिप्रेत है – मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग।

(स) ''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत है – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।

(द) ''द्वितीय चरण'' से अभिप्रेत है – जेल विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट अथवा साक्षात्कार ।

(ई) ''मण्डल'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।

(फ) ''म.प्र.'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

1-3 inuke] osrueku rFkk 'kS{kf.kd ;kX;rk %&

<u>lh/kh Hkrhz ds inksa dk oxZokj fooj.k</u>

¼01½ inuke & 'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd वेतनमान 9300–34800+3200 ग्रेड पे

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh ds dqy 01 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	–	–	–	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	–	–	–	–	–	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	;ksx	01	–	–	–	01	

U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

10+2 प्रणाली के अंतर्गत कम से कम हाईस्कूल परीक्षा अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

rFkk

किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक का प्रमाण–पत्र अथवा डिप्लोमा होना चाहिए अथवा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा तथा शारीरिक शिक्षा में तीन वर्षो का अनुभव ।

¼02½ inuke & i|:"k ul| (वेतनमान 5200–20200+2800 ग्रेड पे)

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh d| d|y 01 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	–	–	–	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	–	–	–	–	–	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	;kx	**01**	–	–	–	**01**	

U;|ure 'k{kf.kd vgrk %&

(1) 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए

(2) पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स, पुरूषो, महिलाओं और बालकों में तीन वर्ष का सामान्य नर्सिग प्रशिक्षण नर्स पंजीयन परिषद (भाग–अ) में रजिस्ट्रीकृत, जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंध की योग्यता, ऐसे प्रशिक्षित कम्पाउण्डर या व्यक्ति को जिन्होने तीन मास का आपातकालीन नर्सिग पाठ्यक्रम किया हो, अधिमान दिया जाएगा

¼03½ inuke & c<bZfxjh vun|'kd (वेतनमान 5200–20200+1900 ग्रेड पे)

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh d| d|y 01 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	–	–	–	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	–	–	–	–	–	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	;kx	**01**	–	–	–	**01**	

U;|ure 'k{kf.kd vgrk %&

1. 10+2 प्रणाली के अंतर्गत कम से कम हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए
2. किसी संस्था से बढईगिरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए
3. बढईगिरी कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए
4. बंदियो को बढईगिरी कार्य सिखाने तथा लेखा रखने की योग्यता एवं क्षमता होनी चाहिए

¼04½ inuke & Qkjeu izsl (वेतनमान 5200–20200+2100 ग्रेड पे)

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrhz dk dqy 01 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	–	–	–	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	–	–	–	–	–	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	;ksx	**01**	–	–	–	**01**	

U;wure शै{kf.kd vgZrk %&

(1) मुद्रण में आई.टी.आई. उत्तीर्ण होना चाहिए ।

rFkk

मुद्रयोजन (कम्पोजिंग) मुद्रण एवं प्रूफ रीडिंग में 3 वर्ष का अनुभव तथा लेखा संधारित करने की क्षमता होनी चाहिये ।

¼05½ inuke & f'k{kd@lgk;d f'k{kd (वेतनमान 5200–20200+2400 ग्रेड पे)

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrhz dk dqy 06 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	–	–	04	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	–	–	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	–	–	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	–	–	00	
	;ksx	**05**	**01**	–	–	06	

U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12 वी कक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हॉयर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण एवं बी.टी.सी./डी.एड./डी.एस.ई.

¼06½ inuke & igjh (वेतनमान 5200–20200+1900 ग्रेड पे)

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh d dqy 842 in½ %&

स. क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिको के लिए		योग	विकलांक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित	190	126	42	–	63	–	421	fujad
2.	अनुसूचित जाति	61	40	13	–	20	–	134	
3.	अनुसूचित जनजाति	73	53	17	–	26	–	169	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	53	35	12	–	18	–	118	
	;kx %&	**377**	**254**	**84**	&	127	&	842	

(I) U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(II) 'kkjhfjd ekin.M %&

मापदण्ड	ऊँचाई	सीना बिना फुलाये
पुरूष अभ्यर्थी के लिए	165 से.मी.	83 से.मी.
महिला अभ्यर्थी के लिए	158 से.मी.	–––

1. आवेदक की दोनों ऑखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए और उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी को शारीरिक रुप से अपंग नहीं होना चाहिये।
3. अभ्यर्थी में 'नॉकनी/फ्लेट फुट' एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिये तथा चिकित्सक दृष्टि से योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं।

ukV%&1- U;wure 'kkjhfjd vgZrk,a iw.kZ djus okys mEehnokj gh vkosnu djsaA U;wure 'kkjhfjd vgZrkvksa esa NwV dk dksbZ izko/kku ugha gSA vH;fFkZ;ksa dks lykg nh tkrh gS fd fu/kkZfjr ukirksy[k iw.kZ ugha djus ij mudh vH;fFkZrk fujLr dj nh tk;sxhA

2- igjh in grq Hkrh fu;e esa vH;FkhZ dks 'kkjhfjd :i ls vius ugha gksus ds dkj.k fu"'kDrtu grq vkj{k.k fu/kkZfjr ugha jgsxkA

fVIi.kh%&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक पी–3–04/2013/1/3 दिनांक 06.03. 2013 द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिकों को शासकीय सेवाओं में दिये गये आरक्षण अनुसार जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती के पदों में 15 प्रतिशत पद आरक्षित है। इस लाभ के लिये स्वयंसेवी नगर सैनिक की आवेदन करने की अंतिम तिथि को इस पद पर उनकी 03 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण होनी चाहिये। अनुशासनहीनता, दुराचरण, अस्वस्थता अथवा भगोडे होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिको को प्रहरी संवर्ग के अंतर्गत नियुक्ति की पात्रता नही होगी।

lh/kh Hkrh cSdykWx ds inksa dk oxZokj fooj.k

¼01½ inuke & 'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd वेतनमान 9300–34800+3200 ग्रेड पे

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh&cSdykWx ds dqy 03 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	–	–	–	–	–	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	–	–	–	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	–	–	–	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	–	–	–	01	
	;ksx	03	–	–	–	03	

U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

10+2 प्रणाली के अंतर्गत कम से कम हाईस्कूल परीक्षा अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

rFkk

किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक का प्रमाण–पत्र अथवा डिप्लोमा होना चाहिए अथवा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा तथा शारीरिक शिक्षा में तीन वर्षो का अनुभव ।

¼02½ inuke & flykbZ vuqns'kd (वेतनमान 5200–20200+1900 ग्रेड पे)

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh&cSdykWx ds dqy 03 in½ %&

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	–	–	–	–	–	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	–	–	–	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	–	–	–	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	–	–	–	01	
	;ksx	03	–	–	–	03	

U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए शासकीय संस्था या मान्यता प्राप्त सिलाई संस्था का प्रमाण पत्र या पत्रोपाधि (डिप्लोमा) होना चाहिए तथा उम्मीदवार के पास पर्याप्त सैद्वांतिक

rFkk

व्यावहारिक ज्ञान और शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए एवं बंदियों को शिक्षा देने और लेखे संधारित करने और बंदियों पर अंकुश रखने संबंधी योग्यता होनी चाहिए, बंदियों को सिलाई प्रशिक्षण देने की क्षमता होनी चाहिए।

¼03½ inuke & cqukbZ funs'kd (वेतनमान 5200–20200+1900 ग्रेड पे)

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh&cdykx dk dqy 01 in½ %&

<table>
<tr><th rowspan="2">सक्र.</th><th rowspan="2">श्रेणी</th><th colspan="2">बिन वर्ग</th><th colspan="2">भूतपूर्व सैनिक</th><th rowspan="2">योग</th><th>विकलांग</th></tr>
<tr><th>ओपन</th><th>महिला</th><th>ओपन</th><th>महिला</th><td rowspan="6">निशक्तजनों की dqy 01 fjfDr;k esa ls 01 in Jo.kckf/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>अनारक्षित (UR)</td><td>01</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>01</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अनुसूचित जाति (SC)</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अनुसूचित जनजाति (ST)</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td></td><td>;ksx</td><td>01</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>01</td></tr>
</table>

U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

1. 10+2 प्रणाली के अंतर्गत कम से कम हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम एक वर्ष का बुनाई में डिप्लोमा होना चाहिए
3. उम्मीदवार को बुनाई कार्य का कम से कम 03 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए
4. उम्मीदवार को बंदियो को प्रशिक्षित करने तथा लेखा संधारित करने की क्षमता होनी चाहिए

¼04½ inuke & iq:"k ulZ (वेतनमान 5200–20200+2800 ग्रेड पे)

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh&cdykx dk dqy 02 in½ %&

<table>
<tr><th rowspan="2">सक्र.</th><th rowspan="2">श्रेणी</th><th colspan="2">बिन वर्ग</th><th colspan="2">भूतपूर्व सैनिक</th><th rowspan="2">योग</th><th>विकलांग</th></tr>
<tr><th>ओपन</th><th>महिला</th><th>ओपन</th><th>महिला</th><td rowspan="6">निरंक</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>अनारक्षित (UR)</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अनुसूचित जाति (SC)</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अनुसूचित जनजाति (ST)</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)</td><td>02</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>02</td></tr>
<tr><td></td><td>;ksx</td><td>02</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>02</td></tr>
</table>

U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

(1) 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए

(2) पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स, पुरूषो, महिलाओं और बालकों में तीन वर्ष का सामान्य नर्सिग प्रशिक्षण नर्स पंजीयन परिषद (भाग–अ) में रजिस्ट्रीकृत, जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंध की योग्यता, ऐसे प्रशिक्षित कम्पाउण्डर या व्यक्ति को जिन्होने तीन मास का आपातकालीन नर्सिग पाठ्यक्रम किया हो, अधिमान दिया जाएगा

¼05½ inuke & izgjh (वेतनमान 5200–20200+1900 ग्रेड पे)

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh&cdykx d dy 10 in½ %&

स. क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिको के लिए		योग	विकलांक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित	–	–	–	–	–	–	–	
2.	अनुसूचित जाति	–	–	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति	05	03	01	–	01	–	10	fujad
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	–	–	–	–	–	–	–	
	;kx %&	05	03	01	–	01	–	10	

(I) U;ure 'k{kf.kd vgrk %&

आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(II) 'kkjhfjd ekin.M %&

मापदण्ड	ऊँचाई	सीना बिना फुलाये
पुरूष अभ्यर्थी के लिए	165 से.मी.	83 से.मी.
महिला अभ्यर्थी के लिए	158 से.मी.	–––

1. आवेदक की दोनों ऑखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए और उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी को शारीरिक रुप से अपंग नहीं होना चाहिये।
3. अभ्यर्थी में 'नॉकनी/फ्लेट फुट' एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिये तथा चिकित्सक दृष्टि से योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं।

ukV%&1- U;ure 'kkjhfjd vgrk,i i.k dju oky mEehnokj gh vkonu djA U;ure 'kkjhfjd vgrkvk e NV dk dkb ikoèkku ugh gA vH;fFk;k dk lykg nh tkrh g fd fuèkkfjr ukitk[k i.k ugh dju ij mudh vH;fFkrk fujLr dj nh tk;xhA

2- izgjh in grq Hkrh fu;e e vH;Fkh dk 'kkjhfjd :i l vi x ugh gku d dkj.k fu'kDrtu grq vkj{k.k fu/kkfjr ugh jgxkA

fVIi.kh%&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक पी–3–04/2013/1/3 दिनांक 06.03.2013 द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिकों को शासकीय सेवाओं में दिये गये आरक्षण अनुसार जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती के पदों में 15 प्रतिशत पद आरक्षित है। इस लाभ के लिये स्वयंसेवी नगर सैनिक की आवेदन करने की अंतिम तिथि को इस पद पर उनकी 03 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण होनी चाहिये। अनुशासनहीनता, दुराचरण, अस्वस्थता अथवा भगोडे होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिको को प्रहरी संवर्ग के अंतर्गत नियुक्ति की पात्रता नही होगी।

1-4 ukxfjdrk ,o LFkkbi fuoklh d lc/k e %&

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :–

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या

(ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

fVIi.kh %&

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण–पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष

की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बल जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण–पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।

(i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।

(ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।

(iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

(II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/निल/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

1-5 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa ds fy, izgjh ,oa 'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd in gsrq vk;q lhek %&

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं. सी–18–15/91/3/1, दि. 03.02.1992 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2016 को 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी–3–11/12/1/3, दि. 03.11.2012 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है :–

l-Ø-	vkosnd	Js.kh	vf/kdre vk;q lhek
1.	पुरूष	सामान्य/अनारक्षित	30 वर्ष
2.	पुरूष	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	30+5=35 वर्ष
3.	महिला	सामान्य/अनारक्षित वर्ग	30+10=40 वर्ष
4.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	30+5+10=45 वर्ष
5.	महिला	सामान्य वर्ग (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	30+10+5=45 वर्ष
6.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिव) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	30+10+5=45 वर्ष

1-5-1 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa ds fy, f'k{kd@lgk;d f'k{kd] iq:"k ulZ] flykbZ vuqns'kd] c<bZfxjh vuqns'kd] cqukbZ vuqns'kd] ,oa Qkjeu iwy in gsrq vk;q lhek %&

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं. सी–18–15/91/3/1, दि. 03.02.1992 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2016 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी–3–11/12/1/3, दि. 03.11.2012 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है :–

l-Ø-	vkosnd	Js.kh	vf/kdre vk;q lhek
1.	पुरूष	सामान्य/अनारक्षित	35 वर्ष
2.	पुरूष	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	35+5=40 वर्ष
3.	महिला	सामान्य/अनारक्षित वर्ग	35+10=45 वर्ष
4.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	35+10=45 वर्ष
5.	महिला	सामान्य वर्ग (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	35+10=45 वर्ष
6.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिव) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	35+10=45 वर्ष

1-5-2 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa izksRlkgu Lo:i nh tkus okyh NwV %&

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी–3–40–आ–84–(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ख) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–10–85–3–1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ग) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–18–85–3–1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

1-5-3 e/; izns'k dk LFkkbZ fuoklh vkosndksa dh vk;q lhek dk lca/k esa vU; fooj.k %&

(क) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–सी–3/12/2010/1/3, दिनांक 04.06.2010 के अनुसार राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को तथा नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए (05 वर्ष की अतिरिक्त छूट देते हुए) 45 वर्ष रहेगी।

(ख) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

(ग) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

¼?k½ lkekU; iz'kklu foHkkx ds Kki Øekad 50&2532&¼3½ 80 fnukad 12-02-1981 ,oa Øekad ,Q 8&1@06@vk0iz0@,d fnukad 12-06-2006 }kjk lsok ;qX; fu%'kDr tuksa dks ¼vU;wure 40 izfr'kr fu%'kDrrk okys 'kkjhfjd :i ls fu%'kDr O;fDr½ fu/kkZfjr vk;q lhek esa 10 o"kZ dh NwV iznku dh xbZ gSA

स्पष्टीकरण :– शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

(ड़) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :–शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति–रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
  (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
  (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों ।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345–4005–सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीप– (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग–पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

¼2½ ;fn dksbZ vkosnd izksRlkgu Lo:i nh tkus okyh NwVksa esa ls fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa NwV dk ykHk ds fy;s ,d ls vf/kd vk/kkj j[krk gks] rks mls vf/kdre ykHk okys fdlh ,d vk/kkj ds fy;s fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa gh NwV dk ykHk izkIr gksxkA ;g NwV fu/kkZfjr vf/kdre vk;q&lhek ds vfrfjDr gksxhA lHkh izdkj dh NwV dks 'kkfey djrs gq,] fdlh Hkh fLFkfr esa fdlh Hkh iwoZ ds fy,] vf/kdre vk;q&lhek 45 o"kZ ls vf/kd ugha gksxhA

1-6 vkj{k.k ls lacaf/kr Li"Vhdj.k %&

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(ब) मध्यप्रदेश के मूल निवासी विकलांग (अस्थिबाधित/दृष्टिबाधित/श्रवणबाधित) अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(स) मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तत करना होगा।

(द) होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक को आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये, नगर सेना की 03 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(क) महिला होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिको के लिए होरीजेन्टल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिए आरक्षित पद कैरिफारवर्ड नही होगे। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मिदवारों से भरे जावेगे।

1-7 vH;fFkZrk@p;u ds lac/k esa fugZrk,a@tkudkjh %

1. पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा में अयोग्य घोषित किये जायेंगे।

2. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतोन हो, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह माना जायेगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनर्ह नहीं माना जावेगा।

3. कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।

4. शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ्य आवेदक को अयोग्य माना जायेगा।

5. फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो अन्य कोई विवाद की स्थिति में सेवा से पृथक किया जावेगा एवं कोई अपील मान्य नहीं होगी।

1-8 ijh{kk dh ;kstuk %&

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त किए जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन–पत्रों की स्क्रुटनी संबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय–2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होंगे।

1-8-1 iFke pj.k & fyf[kr ijh{kk %&

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्नों 200 अंकों (प्रत्येक प्रश्न 01 अंक) व तीन घंटे की अवधि का केवल 01 प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के हाईस्कूल स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे।

अथवा

tsy eq[;ky; Lrj ij Hkh ;g dk;Z lEikfnr fd;k tk ldrk gSA

1-8-2 iqgjh in grq fyf[kr ijh{kk dh efjV lwph %&

मंडल द्वारा लिखित परीक्षा के परीक्षा परिणाम की प्रावीण्यता के आधार पर 07 गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर क्रम में सूची, आरक्षण संबंधी समस्त नियमों को ध्यान में रखते हुए श्रेणीवार तैयार कर जेल मुख्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम की जानकारी मंडल द्वारा वेबसाईट पर व समाचार पत्रों में तथा जेल मुख्यालय द्वारा व्यक्तिगत सूचना–पत्र जारी कर द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अवगत कराया जायेगा। परन्तु अंतिम परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व किसी भी स्थिति में द्वितीय चरण के लिए सफल अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की जानकारी अभ्यर्थियों, जेल मुख्यालय अथवा चयन प्रक्रिया से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जायेगी।

प्रथम चरण की परीक्षा में प्रावीण्यता के आधार पर 07 गुना अभ्यर्थियों की रोल नंबर के क्रम में द्वितीय चरण की परीक्षाओं शारीरिक नापजोख व प्रावीण्यता टेस्ट के लिये बुलाया जायेगा। श्रेणी अनुसार 07 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 07 गुना से अधिक हो जावे। लिखित परीक्षा के पूर्व नाप जोख नहीं कराया जायेगा।

1-8-3 iqgjh in grq f}rh; pj.k & 'kkjhfjd eki ijh{k.k o 'kkjhfjd izoh.;rk VsLV %&

प्रथम चरण में सफल घोषित उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये जेल विभाग द्वारा निश्चित स्थान, तिथि एवं समय की सूचना डाक अथवा अन्य माध्यम से दी जायेगी। द्वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षण व शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट की कार्यवाही जेल मुख्यालय स्तर पर महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ का विनिश्चय मान्य होगा। निर्धारित शारीरिक अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जायेगी।

1-8-4 iqgjh in grq 'kkjhfjd izoh.;rk VsLV %

समिति द्वारा शारीरिक नापजोख में उपयुक्त उम्मीदवारों का शारीरिक प्रवीणता टेस्ट निम्नानुसार लिया जायेगा :–

ijh{kk	iqgjh ¼iq:"k½	iqgjh ¼efgyk½	Hkwrio lSfud ,oa gksexkMZ
800 मीटर दौड़	2 मिनट 50 सेकंड	4 मिनट 00 सेकंड	3 मिनट 15 सेकंड

गोलाफेक	20 फिट (गोले का वजन 7.260 किलोग्राम)	16 फिट (गोले का वजन 4.00 किलोग्राम)	15 फिट (गोले का वजन 7.260 किलोग्राम)

1. यदि दौड़ में क्वालीफाई नहीं करता है, तो उसे गोलाफेक में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।
2. शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालीफाइंग स्वरूप की होगी । इसमें कोई पूर्णांक–प्राप्तांक नहीं होंगे। परीक्षा परिणाम से उम्मीदवार को तुरंत मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा।
3. शारीरिक प्रवीणता परीक्षा का विडियो रिकार्ड किया जाएगा। अपने प्रदर्शन/मूल्यांकन से असंतुष्ट रहने पर चयन समिति के समक्ष तत्काल अपील की जावेगी, जो उसका विडियो कवरेज देखकर निराकरण करेगी। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को दूसरी बार अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
4. शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी एवं न ही उक्त के लिये किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जावेगा।

1-8-5 igjh in gr p;u lph %&

जेल मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा द्वितीय चरण में शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रावीणता टेस्ट की कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत इसमें सफल उम्मीदवारों की सूची व्यापम को उपलब्ध कराई जायेगी। शारीरिक नापजौक व शारीरिक प्रावीणता टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की जेल मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची के आधार पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी की जाएगी।

अथवा

ty e[;ky; Lrj ij Hkh ;g dk;l likfnr fd;k tk ldrk g A

1-8-6 'kkjhfjd if'k{k.k vun'kd] flykb vun'kd] cukb vun'kd] i:"k ul] c<bfxjh vun'kd] Qkjeu il] f'k{kd@lgk;d f'k{kd d in gr fyf[kr ijh{kk dh efjV lph %&

मंडल द्वारा लिखित परीक्षा का परीक्षा परिणाम की मेरिट सूची अनुसार प्रत्येक पद हेतु 10 गुना अभ्यार्थियों के रोल नंबर क्रम में सूची, आरक्षण संबंधी समस्त नियमों को ध्यान में रखते हुए श्रेणीवार तैयार कर जेल मुख्यालय को साक्षात्कार हेतु उपलब्ध कराई जायेगी। श्रेणी अनुसार 10 गुना संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण में साक्षात्कार का अवसर दिया जायेगा, भले ही कुल संख्या 10 गुना से अधिक हो जावे। साक्षात्कार उपरान्त साक्षात्कार के 10 अंकों एवं सिर्फ मेलनर्स के पद हेतु अधिमान के 02 अंकों में से प्राप्त अंकों की जानकारी पदवार जेल मुख्यालय द्वारा मण्डल को उपलब्ध करवाई जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में साक्षात्कार/अधिमान के अंकों को जोड़कर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची मण्डल द्वारा जारी की जाएगी। जेल विभाग द्वारा व्यक्तिगत सूचना–पत्र जारी कर द्वितीय चरण में साक्षात्कार के लिए अवगत कराया जायेगा परन्तु अंतिम परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व किसी भी स्थिति में द्वितीय चरण के लिए सफल अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की जानकारी अभ्यर्थियों, जेल मुख्यालय, जेल विभाग अथवा चयन प्रक्रिया से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जायेगी।

1-8-7 'kkjhfjd if'k{k.k vun'kd] flykb vun'kd] cukb vun'kd] i:"k ul] c<bfxjh vun'kd] Qkjeu il] f'k{kd@lgk;d f'k{kd d in gr f}rh; pj.k & lk{kkRdkj %&

प्रथम चरण में मेरिट के आधार पर प्रत्येक पद हेतु 10 गुना सफल घोषित उम्मीदवारों को द्वितीय चरण में साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये जेल विभाग द्वारा निश्चित स्थान, तिथि एवं समय की सूचना डाक अथवा अन्य माध्यम से दी जायेगी। प्रत्येक पद हेतु साक्षात्कार 10 अंकों का होगा। सिर्फ मेलनर्स के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने तीन माह का आपातकालीन नर्सिंग पाठ्यक्रम पूर्ण किया है उन्हें अधिमान के रूप में 02 अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे। द्वितीय चरण के अंतर्गत

साक्षात्कार की कार्यवाही जेल मुख्यालय स्तर पर महानिदेशक,जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में महानिदेशक,जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ का विनिश्चय मान्य होगा।

1-9 'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd] flykbZ vuqns'kd] cqukbZ vuqns'kd] iq:"k ulZ] c<bZfxjh vuqns'kd] Qkjeu ik:l] f'k{kd@lgk;d f'k{kd dk in gsrq gsrq p;u lwph %&

जेल मुख्यालय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा द्वितीय चरण में साक्षात्कार की कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत उम्मीदवारों को समिति द्वारा साक्षात्कार/अधिमान में दिये गये अंकों की सूची व्यापम को उपलब्ध कराई जायेगी। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात भर्ती के लिये द्वितीय चरण में अभ्यर्थियों की अन्तिम गुणागुण सूची (प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार/अधिमान में के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार कर मंडल द्वारा जेल मुख्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर चयन समिति उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची प्रकाशित करेगी।

1-10 ikjLifjd ojh;rk %&

अंतिम प्रावीण्य सूची तैयार करते समय समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी अर्थात् आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरियता दी जायेगी।

1-11 fu;qfDr %&

चयनित उम्मीदवारों के संबंध में चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा केवल 'अनुकूल' चरित्र पाये जाने वाले, चयन सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों के विषय में ही नियुक्ति पर विचार किया जायेगा। उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण भी कराया जायेगा। नियुक्ति के लिये पात्रता हेतु उम्मीदवार का 'मेडिकली फिट' होना भी अनिवार्य है।

उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन फार्म में पूरी एवं सही–सही जानकारी भरना चाहिये, कोई झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अर्धसत्य जानकारी नहीं देना चाहिये। कोई जानकारी छिपाना भी नहीं चाहिये। विशेष कर चरित्र सत्यापन फार्म के कालम नम्बर 12 में सही सही जानकारी भरना आवश्यक है। अब मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों में उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुये नहीं छिपाया है।

(1) नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।

(2) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने के लिये प्रयोजनार्थ की जाने वाली यात्रा का किराया तथा भत्ता नहीं दिया जायेगा। प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने पर प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा। केवल योग्य पाये उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जावेगी, अयोग्य उम्मीदवारों को वापस भेज दिया जावेगा।

(3) जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।

1-12 izf'k{k.k %&

प्रहरी के पद पर नियुक्ति उपरान्त निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पृथकसे भेजी जावेगी। चयनित अभ्यर्थियों को विहित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व उपस्थित होना होगा। यदि अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निश्चित समयावधि में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा।

1-13 foHkkx }kjk ijh{k.k fd;s tkus okys nLrkostks dk fooj.k%&

जेल विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय निम्न दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा :–

(1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट 10+2) की प्रमाणित अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों।

(2) शैक्षणिक व अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र (डिग्री या सर्टिफिकेट की फोटो प्रति)।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं।

(4) होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये, नगर सेना की 03 वर्ष की सेवाकाल का प्रमाण पत्र।

(5) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र।

(6) पुलिस कर्मियों के प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में होने का प्रमाण पत्र।

(7) नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये)।

ukV& दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा। उपरोक्त उल्लेखित दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज विभाग के चाहने पर प्रस्तुत करना होगा।

1-14 ;k=k fdjk;k %&

जेल मुख्यालय द्वारा आरक्षित श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट अथवा साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

महानिदेशक
जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ
मध्यप्रदेश, भोपाल

अध्याय – 2

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

[k.M&v

2-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। vH;FkhZ 'kS{kf.kd vgZrkvksa dk HkyhHkkafr v/;;u mijkUr gh vkosnu i= HkjsaA

(ii) अभ्यर्थी आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

(iii) vkosnd dks ,d gh vkosnu i= iLrqr djuk vfuok;Z gSA inks dh la[;k esa vko';drkuqlkj deh ;k o`f) dh tk ldrh gSA

2-2 (i) <u>आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य रूप से होने चाहीये</u> ।

(ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा ।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग / संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

2-3 ijh{kk gkWy esa ys tkus gsrq vko';d lkexzh %&

(i) मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन।

(ii) फोटोयुक्त पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।

(iv) यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त के अलावा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह–आई.डी. के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener आदि पूर्णतः वर्जित है।

2-5 izos'k&i= izkIr djus dh izfØ;k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट **www.vyapam.nic.in** से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

ukssV& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2-6 ijh{kk izos'k&i= **(Test Admit Card) :-**

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट **www.vyapam.nic.in** पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे।

(ii) मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो–भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(iii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iv) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.7 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-8 =fVi.k i'u] mldk fujLrhdj.k ,o cny e fn;k x;k vd %&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

(i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
(ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
(iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
(iv) कोई भी विकल्प सही न हो।
(v) यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
(vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
(vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
(viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

mnkgj.k 01 :– यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \text{ x } 100}{(100 - 2)} = 91.83 \quad \text{rounded off to } 92.00$$

mnkgj.k 02 :– यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{140 \text{ x } 150}{(150 - 2)} = 141.89 \quad \text{rounded off to } 142.00$$

mnkgj.k 03 :– यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{190 \text{ x } 200}{(200 - 2)} = 191.91 \quad \text{rounded off to 1 } 92.00$$

ukV %& lHkh x.kuk dk n'keyo d nk vdk rd jkmMvkQ fd;k tk;xkA

2.9 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :–

(i) प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.8 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

(i) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

(ii) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

(iii) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(iv) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

(v) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

(vi) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।

(vii) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

(viii) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

(ix) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(x) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

(xi) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना।

(xii) उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा।

(xiii) इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(xiv) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।

(xv) विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

(xvi) परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त हाने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नही किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटो के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

(xvii) परीक्षार्थियों के विरूद्व परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

(xviii) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई कार्य, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

2-11 ijh{kk ifj.kke dk idk'ku %&

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

2-12 ijh{kk ifj.kke %&

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2-13 e-i- O;kolkf;d ijh{kk eMy dk dk;l io'k@Hkrh@ik=rk ijh{kkvk dk lpkyu ,o mldk ifj.kke ?kkf"kr djuk ek= gkxk %&

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।

(ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2-14 U;kf;d {k=kf/kdkj %& परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

[k.M&c

2-15 vkWuykbZu vkosnu&i= ds lkFk layXu fd;s tkus okys nLrkost dk fooj.k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

(ii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होगें। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को स्वयं की हस्तलिपि में दो लाईने स्केन करवाकर संलग्न करनी होगी। इस प्रकार हस्तलिपि के नमूने को 'रासा' पर प्रिंट किया जायेगा जिसका मिलान संबंधित वीक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(vi) अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नही होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नही किया जायेगा।

2-16 vkWuykbZu vkosnu i= ds lkFk QksVks ,oa gLrk{kj layXu djus lEca/kh funsZ'k%&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होगें।

(ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(vi) फोटोग्राफ vkosnu Hkjus dh frfFk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा QksVksxzkQ ij f[kapokus dh fnukad o vkosnd ds uke dk Li"V mYys[k gksuk pkfg;sA

(vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2-17 ,e-ih- vkWuykbZu fd;kLd ds ek/;e ls vkosnu QkeZ Hkjus dh fof/k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।

(ii) कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जावेगा।

(iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2-18 <u>vkWuykbZu vkosnu Hkjus ds lEcU/k esa funsZ'k %</u>

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण मीनू के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) igpku i= ds ehuw esa ernkrk igpku i=] iSudkMZ] vk/kkj dkMZ] MªkbZfoax ykblsal] vkbZ-Mh- ,oa QksVksxzkQ] cSad ikliqLrd ,oa QksVksxzkQ rFkk ikliksVZ dk izko/kku j[kk x;k gSA

(iii) यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है rks og nLrkost dkSu lk gS blds tkudkjh vfrfjDr lg&vkbZMh ds :i esa iznku djuh gksxhA

(iv) vkosnd dks vkosnu i= esa 'kjhj ds LFkk;h fpUg rFkk ijh{kk ds le; iz;qDr fd;s tkus okys QksVks igpku i= dk fooj.k rFkk Øekad vfuok;Z :i ls vafdr fd;k tkuk gksxkA bues vHkko esa vkosnu i= Lohdkj ugha gksxkA

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(vi) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(vii) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक पृथक से भी अंकित किये जाने का प्रावधान रखा जावेगा ।

2-19 vkWuykbZu vkosnu&i= Hkjus dh O;oLFkk %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र एम.पी.आनलाईन की osclkbV www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेविट (कोई भीवीजा/मास्टर/मास्टरो काई)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2-20 vkuykbu vkosnu&i= Hkjus gsrq nks fodYi gSa%&

¼v½ bUVjusV dSQs }kjk ¼D;kLd½ ¼c½ Lo;a ds dEI;wVj }kjk

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर
Vyapam लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी funsZ'k@**Instructions** तथा परीक्षा fu;e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–

¼v½ ØsfMV@MsfcV dkMZ ¼c½ bUVjusV cSfdax

2-21 ØsfMV@MsfcV dkMZ ds ek/;e ls ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku%&

(i) आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-22 bUVjusV cSfdax ds ek/;e ls ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku %&

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई. डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-23 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं

ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2-24 fu/kkZfjr frfFk esa tek fd, x, vkWuykbZu vkosnu i= esa la'kks/ku dh O;oLFkk

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

(ii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

(vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(ix) ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा।

2-25 ,d ls vf/kd vkWuykbZu vkosnu&i= Hkjus lac/kh funsZ'k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन–पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

2-26 vkWuykbZu vkosnu&i= dk fujLrhdj.k %&

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-27 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.28 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2-29 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3–17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि व्यापम के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

[k.M&l

2-30 vkonu i= Hkjus dh le;kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
20.09.2015	19.10.2015	30	20.09.2015	24.10.2015	35

2-31 fyf[kr ijh{kk dk fooj.k

स.क्रं.	परीक्षा	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रश्न पत्र	22.11.2015 (रविवार)	रविवार	03 घंटे	प्रातः 09:45 बजे से 1:15 बजे तक	200

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे।

परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2-32 (i) ijh{kk 'kqYd %&

स. क.	प्रश्न पत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	निःशक्तजन (म. प्र. के मूल निवासियों के लिये) अभ्यर्थियों के लिये	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम. पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01-	,d	500/—	250/—	250/—	70@&	fujad

(ii) la'kks/ku fd;s tkus ij nh; 'kqYd

स. क.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01-	,d	100/—	50/—

2-33 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :—

क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र
1.	जबलपुर
2.	भोपाल
3.	ग्वालियर
4.	इन्दौर
5.	रीवा
6.	सागर
7.	उज्जैन

मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

[k.M&n

vkuykbu ijh{kk i.kkyh d l c/k e funs'k

2-34 (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) व्यापम की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) व्यापम कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) व्यापम की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षाा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में प्रश्न पत्रों के स्तर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित/संशोधित किया जा सकता है ।

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

v/;k; & 3

fyf[kr ijh{kk dk ikB;Øe

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hkkx & 1 % lkekU; Kku & i`.kkZd&40

Hkkx & 2 % lkekU; fgUnh & i`.kkZd&40

Hkkx & 3 % lkekU; vaxzsth & i`.kkZd&40

Hkkx & 4 % lkekU; xf.kr & i`.kkZd&40

Hkkx & 5 % lkekU; foKku & i`.kkZd&40

ukSV%& ek/;fed f'k{kk e.My] e/;izns'k dh 10$2 i`.kkyh ds vuqlkj gk;j lsd.Mjh ijh{kk ¼d{kk nloh½ Lrj dk ikB;Øe gksxkA

_____

ik: i&1

(देखें नियम 2.18 एवं 2.19)

i'u&ifLrdk d i'uk d lc/k e vH;konu

¼ukV& ;g i= doy ijh{kkFkh }kjk gh Hkjdj fu/kkfjr le;kof/k rd
e.My dk;ky; e miyC/k djku ij fopkj {k= e fy;k tk,xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

l0Ø0	i'u Øekd	=fV dk fooj.k	lk{; d :i e iLrr nLrkot dk fooj.k	lyXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर....................................
आवेदक का नाम.......................................

स्थान ....
दिनांक ....

ik:i&2

(देखें नियम 2.18 एवं 2.19)

vkn’k mRrjk ij vkifRr gr vH;konu

¼ukV& ;g i:i= doy ijh{kkFkh }kjk gh Hkjdj fu/kkfjr le;kof/k rd e.My dk;ky;
e miyC/k djku ij fopkj {k= e fy;k tk,xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

l-Ø-	mRrj Øekd	vkn'k dh th e inf'kr mRrj	vH;Fkh d vuqlkj mRrj	mRrj d leFku e iLrr nLrkot dk fooj.k	lyXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर..................................

दिनांक ....